

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3037] No. 3037] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 3, 2018/श्रावण 12, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 3, 2018/SHRAVANA 12, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

का.आ. 3827(अ).—खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 43 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 12 जनवरी, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 97(अ),दिनांक 10 जनवरी, 2017 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

(1) सारणी-2 में, कॉलम (2) में क्रम संख्या 10 पर "निदेशक, भारतीय सस्य (क्रॉप) प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, पुदुक्कोट्टटै रोड़, तंजावूर-613005, तिमल नाडु" शब्दों को "निदेशक, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, पुदुक्कोट्टटै रोड़, तंजावूर-613005, तिमल नाडु" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4530GI (1)

(2) सारणी-2 में, क्रम संख्या 14 के पश्चात, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात,-

क्रम सं.	अभिनिर्देश खाद्य प्रयोगशाला का नाम	एतद्धीन परिभाषित परीक्षण के विस्तार के अनुसार पूरे
		भारत में
(1)	(2)	(3)
"15.	निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	दुग्ध और दुग्ध उत्पाद और अनुरूप; वसा, तेल और वसा
	पंजाब बायोटेक्नोलोजी इनक्यूबेटर,	मिश्रण; फल, सब्जी और उनके उत्पाद; अनाज और अनाज
	एससीओ: 7 & 8, फेस-V, एसएएस नगर	उत्पाद; मधु और मधुकारक; मिठास कारक मधु सहित;
	(मोहाली)-160059, पंजाब	नमक, मसाले, मसाले और संबन्धित उत्पाद; गैर
		एल्कोहोलिक-कार्बनिकृत पेय पदार्थ; खनिज जल; पैकेज
		बंद पेय जल (खनिज जल से भिन्न) में खाद्य उत्पाद मानक,
		संदूषक, आविष और अवशिष्ट, सूक्ष्म जैविकीए पैरामीटर
		एवं खाद्य सहयोज्य।

[फा. सं. 12012/30/2016-क्यू.ए.]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 97(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:-

(1) का.आ. 3695 (अ), तारीख 20 नवंबर, 2017 ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA]

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2018

- **S.O. 3827(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. 97(E) dated the 10th January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) on 12th January, 2017, namely:—
- (1) In TABLE 2, at serial number 10 in column (2) the words "Director, Indian Institute of Crop Processing Technology, Food Safety and Quality Testing Laboratory, Pudukkottai Road, Thanjavur 613005, Tamil Nadu" shall be substituted with "Director, Food Testing Laboratory, Indian Institute of Food Processing Technology, Pudukkottai Road, Thanjavur 613005, Tamil Nadu".
- (2) In TABLE 2, after serial number 14, the following entries shall be inserted in the respective columns, namely,-

Serial	Name of the Referral Food Laboratory	All over India – as per Scope of Testing defined hereunder
No.		
(1)	(2)	(3)
15	Director/Chief Executive Officer	Food Product Standards, Contaminants, Toxins, Residues,
	Punjab Biotechnology Incubator,	Microbiological parameters and Food additives in milk &
		milk Products and analogues, Fats, Oils & Fat emulsions;
		<i>5</i> ,, 1 1 1

SCO: 7 & 8, Phase –V,SAS Nagar (Mohali) -	Fruits, Vegetables and their products; Cereals & Cereal
160059, Punjab	Products, Sweets & Confectionery; Sweetening agents
	including Honey; Salts, Spices, Condiments & related
	products; Non-alcoholic & Carbonated beverages; Mineral
	water; Packaged drinking water (other than Mineral water).

[F. No. 12012/30/2016-QA]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 97 (E), dated the 10th January, 2017 and subsequently amended vide

(i) S.O. number 3695(E), dated the 20th November, 2017.